5 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

(173)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0

निगरानी - 5993/2018/धार/भू.रा.

मोहनलाल पिता थावरलाल बलाई
निवासी–ग्राम मानपुर तह. महू जिला इन्दौर म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामकन्याबाई पति बुदेलाल जाति बलाई
2. जितेन्द्र पिता बुदेलाल जाति बलाई,
3. राजेश पिता बुदेलाल जाति बलाई,

सभी निवासीयान–ग्राम मानपुर तह. महू
जिला इन्दौर म0प्र0

................विपक्षीगण

श्री ... द्वारा आज दि. 03.10.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10.10.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3.10.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 मुजब

(अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के प्रकरण कमांक 591/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30/06/2018 में पारित आदेश जिससे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व क्षेत्र धार जिला धार के प्रकरण कमांक 7/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 10/07/2017 व नामांतरण पंजी कमांक 8 पर पारित आदेश दिनांक 26/09/2001 को निरस्त करते हुए जो अपील स्वीकार की है उससे असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत है ।)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी5993/2018/धार/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-10-18	आवेदकपक्ष की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह प्रकरण सुनवाई हेतु अग्राह्य किया जाता है । अध्यक्ष	